राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 42/एनएचएम/आरबीएसके/2015/429 दिनांकः 19.11.2015

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु संविदा आयुष चिकित्सकों के चयन/नियुक्ति हेतु श्री नवीन जैन, मिशन निदेशक, एनएचएम की अध्यक्षता में एक परीक्षण समिति का गठन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। गठित समिति द्वारा दिनांक 19.11.2015 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 10.11.2015 को जारी प्रकाशित परिणाम अनुसार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस परिणाम के विरूद्व विभिन्न याचिकाओं में दिये गये आदेश की पालना करते हुए आयुष चिकित्सकों की काउंसलिंग प्रकिया शुरू की जाये परन्तु इसके पूर्व किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो उसको सुनकर यथोचित निस्तारण किया जाये।

अतः इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार काउंसलिंग प्रकिया शुरू करने के पूर्व समस्त प्रभावित व सम्बद्व आवेदकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न कार्यक्रम अनुसार अपनी आपत्ति यदि कोई हो तो अतिरिक्त निदेशक, (ग्रामीण स्वास्थ्य) व प्रिंसीपल हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर इंस्टीटयूट, हीराबाग, जयपुर को प्रस्तुत कर दें अन्यथा इसके पश्चात् किसी भी आपत्ति/परिवेदना/प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

1. आपत्ति स्थलः– हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर इंस्टीटयूट, हीराबाग, जयपुर।
2. आपत्ति दिनांकः– **(क)** आयुर्वेद चिकित्सक के आवेदकः– दिनांक 23.11.2015 प्रातः 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे **(ख)** होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सक के आवेदकः– दिनांक 24.11. 2015 प्रातः 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे

परियोजना निदेशक
एनएचएम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निदेशक, जन स्वास्थ्य/प0क0, निदेशालय मुख्यालय।
4. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क आईईसी को राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि वैवसाईट पर आज ही अपलोड करें।
6. आदेश पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम